न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –89/2012

आदेश दिनांकः 27.09.2019

अनुवान – मदनलाल बनाम भंवरलाल आदि

मदनलाल पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

–प्रार्थी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ (चूरू)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

1. श्री बनवारी लाल खिचड़ एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री बजरंग सिंह एडवोकेट अप्रार्थी

आदेश दिनांक –27.09.2019

आदेश

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट व आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा 151 दिवानी प्रकिया संहिता पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता भंवरलाल की पुश्तैनी खेत वर्तमान खसरा नम्बर 951 नो सौ इक्कावन तादादी 11–04 बीघा ग्यारह बीघा चार बिश्वा खसरा नम्बर

27/9/19

953 तादादी 1–08 बीघा एक बीघा आठ बिश्वा खसरा नम्बर 1298/909 तादादी 27–05 बीघा कुल किता 3 कुल तादादी 39–17 बीघा राजस्व खेत सम्पतियों पुश्तैनी पूर्वजों से वाके रोही गोपालपुरा में चली आ रही है। जो कि प्रार्थी के पिता प्रतिवादी सं. 1 व चाचा ताराचन्द के नाम चली आ रही है। जो कि प्रार्थी के दादा स्व. मंगलाराम की पुश्तैनी सम्पतियों है प्रार्थी के दादा की सम्पतियों होने के कारण प्रार्थी का कानूनन हक हिस्सा वादगत खेतों में जन्म से ही निहित है। स्व. मंगलाराम की मृत्यु के पश्चात उक्त वादगत खेतों की खातेदारी अप्रार्थी 1 व ताराचन्द व प्रार्थी की दादी सुगनी के नाम दर्ज हुई जिसमें से सुगनी ने अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 व ताराचन्द के नाम हक परित्याग कर दिया। जिससे वादगत खेत ताराचन्द व भंवरलाल के 1/2 – 1/2 हिस्सा में दर्ज स्थित चली आ रही है वादगत भूमि 1/2 हिस्सा प्रार्थी के पिता भंवरलाल के नाम दर्ज है जबकि अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से के साथ में प्रार्थी व गौण प्रतिवादी 3–4 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी बराबर आवश्यक थी जो कि नहीं हुई। प्रार्थी का पैतृक सम्पति होने के एवं कानूनन हक हिस्सा निहित होने से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदारी में नामाकंन दर्ज करवाने एवं विक्रय बेदखल नहीं करने का कहने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा 27/07/12 को स्पष्ट इनकार कर दिया गया, जिस कारण वादी को वाद हैतुक प्राप्त है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है अपुर्तीय क्षति भी प्रार्थी को हो रही है। प्रार्थी का हिस्सा या कानूनन हक से महरूम करने से प्रार्थी को क्षति व पुश्तैनी भूमि से महरूम होना पड़ेगा जिसकी भरपाई रू से नहीं की जा सकती है। जिसके लिए अप्रार्थी को दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः मय शपथपत्र पेशकर अर्ज है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला मूल वाद जारी फरमाया जावे कि वादगत खेत वादगत खेत खसरा नम्बर 951 नौ सौ इक्कावन तादादी 11–04 बीघा ग्यारह बीघा चार बिश्वा खसरा नम्बर 953 तादादी 1–08 बीघा एक बीघा आठ बिश्वा खसरा नम्बर 1298/909 तादादी 27–05 बीघा कुल किता 3 कुल तादादी 39–17 बीघा बीघा वाके रोही गोपालपुरा में प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल न करें न कब्जा काश्त में दखल अनदाजी करें और नही वादगत खेतों को विक्रय रहन दानपत्र आदि किसी के पक्ष में निष्पादित करे और नहीं ऐसा कोई कार्य करे जिसे प्रार्थीगण के कानूनी अधिकारों पर असर पड़ता हो।

27/6/14

2. पत्रावली पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 06.03.2013 को जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को मद सं. 3 तीन में खसरा नम्बर 251 दो सौ इक्यावन व ख. नं. 253 दो सौ तिरेपन पर अपना कब्जा काश्त अंकित कर इन दोनों खसरा नम्बरों की भूमि में से 6 छः बीघा 6 छः बिश्वा भूमि के खातेदारों अधिकारो की घोषणा चाही है। जबकि अन्तिम पैरा को बिना नम्बरी मद में खेत खसरा नम्बर 951 नौ सौ ईक्यावन, खसरा नम्बर 953 नौ सौ तिरेपन व खसरा नम्बर 1298/909 बारह सौ अठयानमें बट्टा नौ सौ नौ के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा को मांग की है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्य परस्पर विरोधभासी होने के कारण स्वतः ही खारिज योग्य है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला किसी भी प्रकार से साबित नहीं है। क्योंकि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 एक के नाम जो भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उसमें से 12 बारह बीघा भूमि अप्रार्थी को स्व अर्जित है। जिसमें प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। प्रार्थी को वादगत भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा न दावा दायरी के दिन था तथा न ही वर्तमान में है। वादगत भूमि का मैं अप्रार्थी सं. 1 एक रेकार्डेड खातेदार काबिज काश्त–कार है। कानून का यह सर्वमान्य प्रतिपादित सिद्धान्त है कि रेकार्डेड खातेदार के खिलाफ किसी भी प्रकार को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन भी नहीं है। तथा न हो प्रार्थी को किसी प्रकार को अपूर्णिय क्षति हो रही है। यदि मुझ अप्रार्थी सं. 1 एक के विरूद्ध किसी भी प्रकार को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो मुझे अपूर्णिय क्षति होगी। जिसको पूर्ति किसी भी हर्जाने से पूर्ण नहीं हो सकेगी।

3. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नियमित वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रार्थी निर्विवाद रूप से अप्रार्थी संख्या 01 का पुत्र है। अतः जब तक विवादित भूमि के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा नियमित वाद का निस्तारण नहीं कर दिया जाता हैं तब तक अप्रार्थी श्री भंवरलाल को विवादित भूमि को रहन एवं बेचान करने से पाबन्द किया जाना व्यापक न्यायहित में है। यदि अप्रार्थी को विवादित भूमि के रहन एवं बेचान से पाबन्द नहीं किया गया तो इस प्रकरण में अनावश्यक रूप से पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी एवं जटिलताएं बढेगी।

27/09/19

5. वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 रिकार्डेड खातेदार है जिसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार नही की जा सकती है। विवादित आराजी अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नही है तथा विवादित आराजी पर कब्जा भी प्रार्थी संख्या 01 का ही है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों को पेश कर कथन किया कि राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

6. वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नियमित वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रार्थी निर्विवाद रूप से अप्रार्थी संख्या 01 का पुत्र है। अतः जब तक विवादित भूमि के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा नियमित वाद का निस्तारण नहीं कर दिया जाता हैं तब तक अप्रार्थी श्री भंवरलाल को विवादित भूमि को रहन एवं बेचान करने से पाबन्द किया जाना व्यापक न्यायहित में है। यदि अप्रार्थी को विवादित भूमि के रहन एवं बेचान से पाबन्द नहीं किया गया तो इस प्रकरण में अनावश्यक रूप से पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी एवं जटिलताएं बढेगी। अतः व्यापक न्यायहित में अप्रार्थी श्री भंवरलाल को विवादित भूमि के रहन एवं बैय नहीं करने के लिए पाबन्द किया जाना पूर्णतया औचित्यपूर्ण है। विवादित आराजी अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2012 को जारी अन्तरीम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक वादगत भूमि के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें व विक्रय, अन्तरण आदि नही करें। पत्रावली फैसले मे शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/09/19

(रतन कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

सुजानगढ